न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन (करौली)

पीठासीन अधिकारी :— हेमराज गुर्जर (आरएएस)

प्रकरण सख्या:—81/2022 दायर दिनांक:—21.12.2022

जीसीएमएस नं. 2022/777

1. रामखिलाडी
2. बृजलाल
3. सिया

पिसरान श्रीमन जाति मीना निवासी कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली

———————प्रार्थीगण—03

बनाम

तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राज0

—————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136
राजस्थानभू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—1.श्री पी एल गोयल वकील प्रार्थी
2.पैरोकार सरकार जरिये तहसीलदार हिण्डौन

निर्णय

दिनांक

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल आर एक्ट 1956 का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा न0 3902 रकबा 2.60 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन जिला करौली है। जिसमें प्रार्थी के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू जाति मीना गैरखातेदार 98/245 हिस्से का खातेदार काश्तकार मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड है।

प्रार्थी के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू मीना निवासी कटकड का स्वर्गवास हो गया है तथा प्रार्थी ही उसके एकमात्र विधिक वारिसान है तथा उसके तर्के पर काबिज व दखील है तथा प्रार्थी ही आराजी मुतजिका मद न0 01 प्रार्थना पत्र में अपने पिता के हिस्से 98/245 पर काबिज दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। आराजी मुतजिका मद न0 01 प्रार्थना पत्र की वर्तमान जमाबंदी में प्रार्थी के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू जाति मीना के स्थान पर राजस्व कर्मचारियों ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी को डिजीटीलाईजेशन करते समय प्रार्थी के पिता की उपरोक्त गैरखातेदारी की जमाबंदी को ऑनलाइन करते समय उनकी जाति मीना के स्थान पर जाति ब्राहम्ण दर्ज कर दी, जबकि उक्त प्रार्थी के पिता की

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:40:14 IST
Reason: SelfAttested

जाति मीना दर्ज रही है तथा प्रार्थी के पिता के समस्त सरकारी दस्तावेजों में उनकी जाति मीना दर्ज है। इसलिये सायलान के मुतजिक्रा मद न0 01 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता की जाति ब्राहम्ण के स्थान पर मीना दर्ज कर उसको दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है।

वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता की जाति राजस्व कर्मचारियों की गलती से मीना के स्थान पर ब्राहम्ण दर्ज हो जाने से सायलान के पिता की मृत्यु हो जाने पर प्रार्थी के नाम उनकी विरासत का नामांतकरण नहीं खुल पा रहा है। जिसके कारण प्रार्थी को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड रहा है इसलिये उक्त गलती को दुरूस्त किया जाना आवश्यक एवं न्याय संगत है।

प्रार्थी द्वारा आराजी मुतजिक्रा मद न0 01 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में अपने पिता की जाति ब्राम्हण के स्थान पर उसे दुरूस्त कर मीना दर्ज करने के लिये अप्रार्थी से दिनांक 19.12.2022 को कहा तो उन्होने इस संबध में चाराजोही हेतु कहा इसलिये प्रार्थना पत्र न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

प्रार्थना पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर आराजी मुतजिक्रा मद न0 01 प्रार्थना पत्र के राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी में प्रार्थी के पिता श्रीमन 'पुत्र लल्लू, जाति ब्राहम्ण के स्थान पर श्रीमन पुत्र लल्लू जाति मीना गैरखातेदार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन द्वारा पत्रांक 687 दिनांक 09.02.2024 जबाब न्यायालय हाजा में पेश हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया जो निम्नानुसार हैः–

1. प्रार्थना पत्र का मद न0 01 जिस प्रक[illegible] किया गया है स्वीकार नहीं है। बल्कि सही तथ्य इस प्रकार [illegible] आराजी खसरा न0 3902 रकबा 2.60 है0 ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन की खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी स. 2055–58, 2059–62, 2063–66, 2067–70 में खातेदारी के कॉलम में प्रार्थीगण के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू मीना गैरखातेदार हिस्सा 98/245 दर्ज रिकॉर्ड है तथा जमाबंदी स0 2071–74 में खातेदार के कॉलम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:14 IST
Reason: SelfAttested

में प्रार्थीगण के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू मीना गैरखातेदार हिस्सा 98/245 के स्थान पर श्रीमन पुत्र लल्लू जाति ब्राहम्ण गैरखातेदार हिस्सा 98/245 सा. देह दर्ज रिकॉर्ड है। श्रीमन पुत्र लल्लू जाति मीना निवासी कटकड फौत हो चूका है। इस प्रकार जमाबंदी स0 2071–74 में सहवन से श्रीमन पुत्र लल्लू की जाति मीना के स्थान पर ब्राहम्ण दर्ज होना साबित है, जिसकी दुरूस्ती कराने के प्रार्थीगण अधिकारी है।

2. प्रार्थना पत्र का मद न0 02 स्वीकार है।
3. प्रार्थना पत्र का मद न0 03 स्वीकार है।
4. प्रार्थना पत्र का मद न0 04 स्वीकार है।
5. प्रार्थना पत्र का मद न0 05 जिस प्रकार से तहरीर किया गया है स्वीकार नहीं है। दिनांक 19.12.2022 को प्रार्थीगण ने अप्रार्थी के समक्ष उक्त दुरूस्ती बाबत कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया है।
6. प्रार्थना पत्र का मद न0 6 कानूनी है।
7. प्रार्थना पत्र का मद न0 7 कानूनी है।

जबाब शामिल पत्रावली किया गया।

वकील प्रार्थी ने दस्तावेजी सबूत में प्रमाणित प्रति जमाबंदी संवत 2071–74 खसरा न0 3902 ग्राम कटकड, जमाबंदी संवत 2055–58 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड, जमाबंदी संवत 2059–62 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड, जमाबंदी संवत 2063–66 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड, जमाबंदी सवंत 2067–70 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड, मृत्यु प्रमाण पत्र श्रीमन मीना, मृत्यु प्रमाण पत्र विरसो की प्रति पेश की गई हैं।

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन उपस्थित। वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की ओर से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और प्रार्थी [illegible]ना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:14 IST
Reason: SelfAttested

वकील प्रार्थी तथा अप्रार्थी की [illegible] से पेरोकार सरकार तहसीलदार हिण्डौन की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड में वकील प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत में जमाबंदी संवत 2071–74 खसरा न0 3902 ग्राम कटकड, जमाबंदी संवत 2055–58 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड,

जमाबंदी संवत 2059–62 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड, जमाबंदी संवत 2063–66 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड, जमाबंदी सवंत 2067–70 खसरा न0 3902 वाके ग्राम कटकड में स्थित हैं। प्रकरण में उपलब्ध दस्तावेजी रिकॉर्ड, पेरोकार सरकार के प्रस्तुत जबाब व मौखिक बहस के आधार पर खसरा न0 3902 रकबा 2.60 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में प्रार्थी के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू, जाति ब्राहम्ण के स्थान पर श्रीमन पुत्र लल्लू जाति मीना गैरखातेदार में प्रार्थी के हक में दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र विरूद्ध अप्रार्थी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत उपलब्ध दस्तावेजी रिकॉर्ड, पेरोकार सरकार के प्रस्तुत जबाब व मौखिक बहस के आधार पर स्वीकार किया जाता है तथा खसरा न0 3902 रकबा 2.60 है0 स्थित ग्राम कटकड तहसील हिण्डौन में प्रार्थी के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू, जाति ब्राहम्ण के स्थान पर श्रीमन पुत्र लल्लू जाति मीना गैरखातेदार में प्रार्थी के पिता श्रीमन पुत्र लल्लू, जाति ब्राहम्ण के स्थान पर श्रीमन पुत्र लल्लू जाति मीना गैरखातेदार राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दुरूस्त किया जाता है, साथ ही राजस्व रिकॉर्ड में उक्त दुरूस्ती का अमल करने हेतु पृथक से तहसीलदार हिण्डौन को तहरीर जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22/11/24 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन

Signature Not Verified

Digitally signed by Hemraj Gurjar
Date: 2025.06.26 15:20:14 IST
Reason: SelfAttested